159

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 661—तीन/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—01—2002 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 64/1998—99/अपील

.....

1— रामसिंह
2— नरोत्तमसिंह
3— फलनसिंह, पुत्रगण कुंजीलाल यादव,
निवासीगण— ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील
अटेर, जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामगोपाल उर्फ गोपाल सिंह
2— दिनेशसिंह, पुत्रगण भागीरथसिंह
3— बीरबलसिंह
4— नाथूसिंह, पुत्रगण रामसनेही
5— रामबाबू पुत्र छोटेलाल
6— मुस0 बादामी विधवा पत्नी छोटेलाल यादव
निवासीगण—ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील
अटेर, जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....मुख्य अनावेदकगण

7— कमलादेवी पत्नी नत्थीसिंह यादव
निवासी— ग्राम विक्रमपुर, तहसील— बाह
जिला—अगरा, उ0प्र
8— शीतलादेवी पत्नी नाथूसिंह यादव
निवासी—ग्राम बटेष्वर की ठार, तहसील
बाह, जिला— अगरा, उ0प्र
9— मुन्नीदेवी पत्नी शिववीर सिंह यादव
निवासी—ग्राम विक्रमपुर, तहसील बाह
जिला— अगरा, उ0प्र
10— शकुन्तलादेवी पत्नी श्रीकृष्ण यादव
निवासी—ग्राम विक्रमपुर, तहसील बाह
जिला— अगरा, उ0प्र

.....औपचारिक अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-9-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/1998–99/अपील में पारित आदेश दिनांक 25–01–2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील अटेर के ग्राम खिपौना में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 393 व 395 जो कि बन्दोबस्त के दौरान सर्वे क्रमांक 306 रकबा 0.18 है तथा सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.32 है0 हुआ। आवेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा संहिता की धारा 169, 190 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि अनावेदकगण के पूर्वजों द्वारा मोखिक अनुबन्ध के आधार पर आवेदकगण के पिता कुंजीलाल को जुता दी थी और उसी समय से विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा व काष्त होकर कृषि करते चले आ रहे है, किन्तु कागजात सरकारी में गलत इन्द्राज चला आ रहा है । आवेदकगण उक्त भूमि के भूमिस्वामी हो चुके है । अतः विवादित भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में इष्तहार जारी कर अनावेदकगण को नोटिस तामील किया गया। किन्तु सूचना उपरांत अनावेदकगण अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई । आवेदकगण के साक्ष आदि लेकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.98 द्वारा संहिता की धारा 190, 110 के तहत आवेदकगण को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आदेश पारित किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा प्रस्तुत अपील को पारित आदेश दिनांक 30.09.99 द्वारा अवधिबाह्य मानकर निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । जहॉ पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 25–01–2002 को प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते

निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि को अनावेदकगण के पिता द्वारा आवेदकगण के पिता को मौखिक अनुबन्ध पर शिकमी पर जुताई थी तब से बराबर काष्त करते चले आ रहे है । विवादित भूमि पर आवेदकगण के पिता का कब्जा था और उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण का कब्जा है । आवेकदगण के पूर्वजों से लेकर या उसके बाद अनावेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और न ही कोई विधिक कार्यवाही की गई । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर आवेदकगण को मौरूषी काष्तकार से भूमिस्वामी सवत्व प्राप्त हो चुके थे और विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई के उपरांत ही आदेश पारित किया जाकर विवादित भूमि पर आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित कया गया था । उक्त पारित आदेश की जानकारी अनावेदकगण की भी उसके बाद भी जानबूझकर 105 दिन विलंब से अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा अवधिबाह्य मानकर अपील को निरस्त कर दी गई । प्रथम अपीलीय न्यायालय के ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील को अपर आयुक्त को मात्र प्रथम अपील समयावधि के बिन्दु पर ही निर्णय देना चाहिये था । यदि प्रथम अपील समयावधि में होना मान्य की जाती तब प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील का गुण–दोषों पर निराकरण करने के निर्देश दिये जाने चाहिये थे । तहसील के आदेश को निरस्त करने का विचाराधिकार अपर आयुक्त को नहीं था । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि अनावेदकगण ने प्रथम अपील जो कि विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, समयावधि में मान्य किये जाने हेतु जो कारण आवेदन–पत्र में दिये थे वे विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं थे। ऐसे आवेदन–पत्र के आधार पर विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है । अपर आयुक्त ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दिये गये आवेदन पत्र एवं उसके प्रतिवाद पर विचार किये बिना अत्यंत सतही आदेश दिया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रकरण में अनावेदकगण को विधिवत नोटिस तामील नहीं कराये गये और न ही इष्तहार का प्रकाशन ही विधिवत कराया गया । विचारण न्याालय द्वारा अनावेदकगण को बिना सुने एवे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है । अनुवभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानने में भी भूल की गई है । स्पष्ट है कि जब अनावेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई हो और न उसे सुना गया हो, तो किस प्रकार से उसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी हो सकती है । यह विचारणीय बिन्दु था, किन्तु इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा कोई ध्या नही नहीं दिया गया और अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दी गई । अनुविभगीय अधिकारी को चाहिये था कि जिस समय वह अवधि के बिन्दु पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत पर भी विचार अथवा गौर कर ललेना चाहिये था । माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अपने न्यायिक सिद्धांत रे0नि0 1995 पृष्ट 411 में यह माना है कि जब माफी आवेदन पत्र विचार किया जा रहा हो तो उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । किन्तु अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा कठोर रूख अपनाते हुये आदेश पारित किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम0पी0एल0जे0 1993 नोअ 738 वन्तियाबाई विरूद्ध सिकन्दरखान में यह माना है कि जब आवेदन पत्र पर विचार किा जा रहा हो तब न्यायालय को यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि सामान्यतः पक्षकार को उसके न्याय निर्णय के अधिकार से वंचित न होना पड़े । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 190, 169 तथा 257 (ण) अधिकारिता के संबंध में है, इसमें मौरूषी कृषक की प्ररिस्थिति का प्रष्न–ऐसे प्रष्न का विनिष्चय करने की अधिकारिता राजस्व अधिकारियों को नहीं दी गई है । इस प्रकारण विचारण न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसमें अनावेदकगण को सुना नहीं गया तथा न ही उन्हें को विधिवत सूचना ही दी गई । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा इन सभी बिन्दुओं पर कोई विचार न करते हुये अतिशीघ्रता में अपील को अवधिबाह्य मानकर निरस्त करने में भूल की है । अतः तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों, नियमों तथा न्याय प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है । अपर

आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा जो दिनांक 25–01–2002 को प्रत्यावर्तित का आदेश पारित किया गया है वह विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः निगरानी अस्त्विहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर